झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2023

(सभा द्वारा यथापारित)

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2023

(सभा द्वारा यथापारित)

विषय सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-

2. परिभाषाएँ –जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में -

4. अधिकारिता-

5. विश्वविद्यालय का उद्देश्य-

6. विश्वविद्यालय की शक्तियाँ एवं कृत्य- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कृत्य होंगे।

7. लिंग, वर्ग या पंथ का ध्यान न रखते हुए सभी व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय का खुला रहना-

8. नामांकन में आरक्षण-

9. कुलाधिपति-

10. विश्वविद्यालय के पदाधिकारी विश्वविद्यालय के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे:-

11. कुलपति-

12. कुलपति की शक्तियाँ, कर्त्तव्य एवं कृत्य –

13. कुलपति को पद से हटाया जाना-

14. डीन-

15. रजिस्ट्रार -

16. वित्त पदाधिकारी-

17. परीक्षा नियंत्रक-

18. संपदा अधिकारी-

19. डीन छात्र कल्याण-

20. अन्य पदाधिकारी-

21. विश्वविद्यालय के प्राधिकार-

22. शासी निकाय

23. शासी निकाय की शक्तियाँ कृत्य एवं बैठक :--

24. कार्यकारिणी परिषद् -

25. अकादमिक परिषद -

26. योजना बोर्ड -

27. संबद्धता बोर्ड -

28. वित्त समिति -वित्त समिति का गठन, शक्तियाँ एवं कृत्य परिनियम द्वारा विहित किये जायेंगे।

29. अन्य प्राधिकार -

30. परिनियम बनाने की शक्ति -

31. परिनियम बनाने की प्रक्रिया -

32. विनियम बनाने की शक्ति-

33. वार्षिक प्रतिवेदन-

34. निधि -

35. लेखा एवं लेखा परीक्षा-

36. रिटर्न आदि प्रेषित किया जाना -

37. कर्मचारियों की सेवाशर्तें -

38. विश्वविद्यालय समीक्षा आयोग का गठन-

39. अपील का अधिकार-

40. पेंशन-

41. विश्वविद्यालय प्राधिकारों एवं निकायों के गठन के संबंध में विवाद-

42. आकस्मिक रिक्तियों को भरा जाना-

43. विश्वविद्यालय प्राधिकारों या निकायों की कार्यवाही का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य नहीं होना -

44. सदभावपूर्वक की गयी कार्रवाई का संरक्षण -

45. विश्वविद्यालय अभिलेख के सबूत के ढंग -

46. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति -

47. संक्रमणकालीन उपबंध -

48. परिनियम तथा विनियमावली का राजपत्र में प्रकाशन तथा विधानमंडल के समक्ष रखा जाना-

झारखण्ड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2023

(सभा द्वारा यथापारित)

स्वास्थ्य विज्ञान की व्यावसायिक शिक्षा के पारम्परिक एवं नये क्षेत्रों में आधुनिक चिकित्सा प्रणाली, आयुष चिकित्सा प्रणाली, नर्सिंग शिक्षा, फार्मेसी शिक्षा, दन्त चिकित्सा शिक्षा, प्रयोगशाला तकनीकी शिक्षा फिजियोथरेपी एवं आकुपेशनल थरेपी स्पीच थरेपी एवं अन्य पारामेडिकल पाठ्यक्रम में शिक्षा एवं अन्तर अनुशासन क्षेत्रों यथा स्वास्थ्य अर्थशास्त्र, स्वास्थ्य प्रशासन इत्यादि में सम्बद्धता शिक्षण एवं उपयुक्त तथा व्यवस्थित निर्देश, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान सुनिश्चित करने के प्रयोजन से सरकार द्वारा स्थापित संस्थाओं तथा राज्य सरकार और / अथवा ट्रस्ट या सोसाईटी द्वारा स्थापित स्वायत्तशासी संस्थाओं के संचालन एवं सम्बद्धता को सुगम बनाने हेतु झारखण्ड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित एवं नियमित करने के निमित यह विधेयक है।

और चूंकि, शिक्षकों एवं छात्रों के लिए अकादमिक स्वतंत्रता एवं छात्रवृत्ति को संप्रवर्तित करने तथा या तो स्वतंत्र रूप से या उत्कृष्ट उच्चतर विद्या के अन्य केन्द्रों के साथ संयुक्त रूप से, छात्रवृत्ति एवं उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु साधक बौद्धिक वातावरण को पोषित एवं विकसित करने के उद्देश्य से एक विशिष्ट स्वायत्त संस्थान की स्थापना वांछनीय है।

भारत गणराज्य के चौहतर वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-

(i) यह अधिनियम "झारखण्ड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023" कहा जायेगा।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा, जो सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएँ –जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में -

(i) 'शैक्षणिक परिषद्' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का शैक्षणिक परिषदः

(ii) 'संबद्ध संस्थान' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदत्त संस्थान।

(iii) 'शैक्षणिक स्टाफ' से अभिप्रेत है स्टाफ की ऐसी कोटि या जो परिनियम (स्टेच्यूट) द्वारा विश्वविद्यालय का शैक्षणिक स्टाफ होना पदाविहित की गयी है

(iv) 'सम्बद्धता' से अभिप्रेत है परिनियम (स्टैच्यूट) एवं इस प्रयोजनार्थ बनायी गयी विनियमावलियों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा की गई संबद्धता

(v) 'स्वायत्तशासी महाविद्यालय अथवा संस्थान' से अभिप्रेत है वैसे महाविद्यालय अथवा संस्थान जिसे सुसंगत संविधी में विहित प्रावधान के अंतर्गत राज्य सरकार / विश्वविद्यालय द्वारा स्वायत्तशासी घोषित किया गया हो

(vi) 'कुलाधिपति' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलाधिपति;

(vii) 'राज्यपाल' से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य का राज्यपाल;

(viii) 'महाविद्यालय' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित एवं नियंत्रित वैसे संस्थान जो चिकित्सा की आधुनिक प्रणाली, आयुष चिकित्सा प्रणाली, नर्सिंग शिक्षा, फार्मेसी शिक्षा, दन्त चिकित् शिक्षा, प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी शिक्षा, फिजियोथरेपी और ऑकुपेशनल थरेपी, स्पीचथरेपी एवं अन्य पारामेडिकल पाठ्यक्रम से संबंधित शिक्षा और अंतर अनुशासनिक क्षेत्र जैसे- स्वास्थ्य अर्थशास्त्र, स्वास्थ्य प्रशासन इत्यादि के पाठ्यक्रम में स्नातक अथवा उच्च डिग्री हेतु शिक्षा प्रदान करते है :

(ix) 'कुलपति' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलपति ;

(x) 'पाठ्यक्रम' से अभिप्रेत है वैसे पाठ्यक्रम जिसके लिए स्वास्थ्य विज्ञान की सुसंगत शाखाओं में स्नातक अथवा उच्चतर उपाधि प्रदान की जाती है एवं ऐसे अन्य पाठ्यक्रम जो सरकार द्वारा भविष्य में अधिसूचित किया जाय

(xi) 'कोर्ट' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कोर्ट;

(xii) 'भारतीय दंत चिकित्सा परिषद्' से अभिप्रेत है दंत चिकित्सा अधिनियम, 1948 (अधिनियम 16, 1948) एवं इसके संशोधन अधिनियम 1993 की धारा-3 के अधीन गठित दंत चिकित्सा परिषद् :

(xiii) 'कर्मचारी' से अभिप्रेत है यथास्थिति विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति :

(xiv) 'कार्यकारिणी परिषद्' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कार्यकारिणी परिषद्

(xv) 'वित्त समिति' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की वित्त समिति :

(xvi) 'सरकार' से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार :

(xvii) 'प्रशासी विभाग' से अभिप्रेत है स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग :

(xviii) 'स्वास्थ्य विज्ञान' से अभिप्रेत है चिकित्सा की आधुनिक प्रणाली, आयुष चिकित्सा प्रणाली, नर्सिंग शिक्षा, फार्मेसी शिक्षा, दंत चिकित्सा शिक्षा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी. फिजियोथरेपी, ऑकुपेशनल थरेपी, स्पीच थरेपी एवं अन्य पारामेडिकल पाठ्यक्रमों से संबंधित शिक्षा और अंतरअनुशासनिक क्षेत्र जैसे- स्वास्थ्य

अर्थशास्त्र, स्वास्थ्य प्रशासन इत्यादि में उनकी सभी शाखाओं में निवारक, प्रोत्साहक उपचारात्मक और पूनर्वास सेवाएँ;

(xix) 'संस्था' से अभिप्रेत है शैक्षणिक संस्था या महाविद्यालय, जिसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये गये होंगे :

(xx) 'भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्' से अभिप्रेत है भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1956 (अधिनियम 1956 का 102) तथा इसके संशोधन अधिनियम, 1993 द्वारा गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

(xxi) 'कदाचार' से अभिप्रेत है परिनियम (स्टेच्यूट) द्वारा विहित कोई कदाचार :

(xxii) 'आधुनिक चिकित्सा पद्धति' से अभिप्रेत है डिप्लोमा और डिग्री स्तर या उससे ऊपर के पूर्व नैदानिक, नैदानिक पारामेडिकल और पाराडेन्टल विषयों से संबंधित आधुनिक चिकित्सा की सभी शाखाएँ और ऐसे अन्य विषय जो विहित किये जाय

(xxiii) 'राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग' से अभिप्रेत है राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम 2019 के द्वारा गठित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग;

(xxiv) 'अधिसूचना' से अभिप्रेत है राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना;

(xxv) 'भारतीय भेषजी परिषद्' से अभिप्रेत है भेषजी अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अधीन गठित केन्द्रीय भेषजी परिषद (फार्मेसी काउन्सिल);

(xxvi) 'योजना बोर्ड' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का योजना बोर्ड;

(xxvii) 'प्राचार्य' से अभिप्रेत है किसी महाविद्यालय का प्रधान और इसमें जहाँ प्राचार्य न हों, वह व्यक्ति जो तत्समय के लिए प्राचार्य के रूप में कार्य करने हेतु सम्यक रूप से नियुक्त किया गया हो और प्राचार्य या कार्यकारी प्राचार्य की अनुपस्थिति में यथा स्थिति उप प्राचार्य, जो इस रूप में सम्यक रूप से नियुक्त हो

(xviii) 'व्यावसायिक शिक्षा' से अभिप्रेत है उस पेशे से जुड़ी शिक्षा जिसमें विशेष प्रशिक्षण या कौशल की आवश्यकता होती है और इसमें चिकित्सा, दंत चिकित्सा, फार्मेसी, फिजियोथेरापी, ऑकुपेशनल थेरापी एवं कानून शिक्षण आदि शामिल है-

(xxix) 'मान्यता प्राप्त शिक्षक' से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्ति जो किसी महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय से विशेषाधिकार प्राप्त संस्था में अनुदेश देने के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किये गये है

(xxx) 'स्कूल' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की विद्या शाखा :

(xxxi) 'अध्ययन विद्यालय' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का अध्ययन विद्यालय

(xxxii) **'स्क्रीनिंग समिति' से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा** 11 (3) **के तहत गठित समिति** :

(xxxiii) **'स्ववित्त पोषित संस्था' से अभिप्रेत है वैसी संस्थाएँ जो किसी न्यास या सोसाईटी या कम्पनी द्वारा स्थापित हो और स्ववित्त पोषित हो एवं स्वास्थ्य विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के क्षेत्र में शिक्षा दे रहा हो**

(xxxiv) **'शासी निकाय' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का शासी निकाय**

(xxxv) **'परिनियम' एवं विनियमावली से अभिप्रेत है तत्समय प्रवृत् विश्वविद्यालय का क्रमशः परिनियम एवं विनियमावली**

(xxxvi) **'तकनीकी कर्मचारी' से अभिप्रेत है, ऐसे कर्मचारी जो विश्वविद्यालय के तकनीकी संवर्ग में कार्यरत हो**

(xxxvii) **'विश्वविद्यालय' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन यथा निगमित झारखण्ड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय**

(xxxviii) **'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम** 1956 **(अधिनियम**- 3, 1956) **की धारा**-4 **के अधीन गठित आयोग** :

(xxxix) **'विश्वविद्यालय शिक्षक' से अभिप्रेत है प्राध्यापक, रीडर, सह-प्राध्यापक, लैक्चरर, सहायक प्राध्यापक और ऐसे अन्य व्यक्ति जो विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी महाविद्यालय या संस्था में अनुदेश देने या शोध संचालन के लिए नियुक्त किये गए हो और जो परिनियम के द्वारा शिक्षक में नामनिर्दिष्ट किये गये हो।**

(xl) **'विश्वविद्यालय समीक्षा आयोग' से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा**-38 **के तहत परिभाषित आयोग**

(xli) **इसमें प्रयुक्त और इस अधिनियम में अपरिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिये क्रमश अधिनियम में समनुदेशित हो'**

3. निगमन-

(i) **झारखण्ड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय, उस तिथि के प्रभाव से, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, स्थापित किया जायेगा जिसमें सम्मिलित होंगे - कुलाधिपति और कुलपति, प्रथम सदस्य शासी निकाय, विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् एवं शैक्षणिक परिषद् और ऐसे सभी व्यक्ति जो एतद्पश्चात ऐसे पद पर या सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाय, तब तक के लिए जब तक ये ऐसे पद या सदस्यता धारित करते हैं:**

(ii) **विश्वविद्यालय इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए संपत्ति को अर्जित करने, धारित करने एवं व्ययनित करने तथा संविदा करने और उक्त नाम से बाद लाने अथवा अपने विरूद्ध बाद लाये जाने की**

शक्ति के साथ शाश्वत् उत्तराधिकार एवं सामान्य मुहर धारित करने वाला पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा

(iii) विश्वविद्यालय का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जैसा कि सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे:

4. अधिकारिता-

(i) विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा

(ii) सरकार द्वारा स्थापित एवं राज्य के विद्यमान विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध या भविष्य में स्थापित होने वाले स्वास्थ्य विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में व्यावसायिक शिक्षा देने वाले सभी महाविद्यालय एवं संस्थाएँ. विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के पात्र उस तिथि से होंगे, जैसा कि सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें तथा उस रीति से होंगे, जो इस संबंध में निर्मित परिनियम या अध्यादेश या विनियमावली द्वारा विहित की जाय

(iii) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य राज्य विधि में अंतर्निष्ट किसी बात के होने पर भी राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यथा विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में व्यावसायिक शिक्षा देने वाले और राज्य विधान मंडल की विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा संबद्ध महाविद्यालयों अथवा संस्थाओं की उस विश्वविद्यालय से संबद्धता समाप्त हो जायेगी, जिसमें ऐसे महाविद्यालय अथवा संस्थाएँ संबद्ध की गयी हों और ऐसे महाविद्यालय और संस्थाएँ उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट तिथि से इस विश्वविद्यालय से संबद्ध समझे जायेंगे।

परन्तु यह कि यह प्रावधान डीम्ड विश्वविद्यालय पर लागू नहीं होगा ।

(iv) विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों और संस्थाओं पर ऐसे निबंधनों और शर्तों को अधिरोपित कर सकेगा जिससे वह विश्वविद्यालय के सभी अथवा किसी उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु आवश्यक साधक अथवा आनुषांगिक विचार करे एवं तब सम्बद्धता प्रदान करे।

(v) किसी न्यास अथवा सोसाईटी द्वारा स्वास्थ्य विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में व्यावसायिक शिक्षा देने वाली स्ववित्तपोषित संस्था के रूप में स्थापित विद्यमान महाविद्यालय अथवा संस्था इस विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेंगे। बशर्ते इस संबंध में निर्मित परिनियम एवं विनियमावली के अंतर्गत अधिकथित शर्तें पूरी की जाय।

(vi) इस राज्य में अवस्थित स्वास्थ्य विज्ञान के किसी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान द्वारा नियत दिवस के पूर्व किसी अन्य विश्वविद्यालय से उपयोग किया जा रहा कोई विशेषाधिकार, ऐसी तिथि के प्रभाव से जैसी कि सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय, वापस ले लिया गया समझा जायेगा ।

5. विश्वविद्यालय का उद्देश्य- विश्वविद्यालय का उद्देश्य स्वास्थ्य विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के ज्ञान को समृद्ध करना एवं संबद्ध क्षेत्रों में शोध एवं उसके व्यवहारिक अनुप्रयोगों के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करना होगा।

विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य विज्ञान के विभिन्न शाखाओं में उत्कृष्टता के केन्द्र एवं संस्थान सृजित करना होगा। विश्वविद्यालय के अन्य उद्देश्य इस प्रकार होगें-

(i) आधुनिक विषय और समाज की बदलती आवश्यकताओं की अनुक्रिया में स्वास्थ्य विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में पेशेवर शिक्षा विकसित करना।

(ii) स्वास्थ्य विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में पेशेवर शिक्षण से जुड़े मामलों में शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार को सुविधाजनक बनाना और प्रोत्साहित करना।

(iii) शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रियाओं और प्रणालियों में गुणात्मक सुधार को सुगम बनाना और सुनिश्चित करना।

(iv) स्वास्थ्य विज्ञान के प्रक्षेत्र में ज्ञान के समकालीन और सीमांत क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को सुगम बनाना और सुनिश्चित करना।

(v) आजीवन सीखने के लिए आवश्यकताओं को सुगम बनाना और उसकी प्रक्रिया को व्यवस्थित करना ।

(vi) विश्वविद्यालय इसके संस्थानों से या अन्यथा प्राप्त ज्ञान एवं शोध के निष्कर्षो का दुनिया भर में प्रसार करना।

(vii) स्वास्थ्य विज्ञान के सभी संकायों, जिनमें आधुनिक चिकित्सा पद्धति, दंत चिकित्सा उपचर्या, औषधि, विभिन्न पैरामेडिकल विधाएँ, यथा-चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीक, फिजियोथेरापी एवं ऑकुपेशनल थेरापी. स्पीच थेरापी, आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धति अंतर्विभागीय क्षेत्र यथा- स्वास्थ्य प्रबन्धन, स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था शामिल है, की शिक्षा के स्तरमान में एकरूपता स्थापित करना ऐसी शिक्षा की गुणवत्ता के संवर्धन एवं वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए और स्वास्थ्य विज्ञान की सभी पद्धतियों की आपसी समझ पर सभी स्तरों पर शैक्षणिक उत्कृष्टता के उच्चतम स्तरमान को आधुनिक बनाने, सुधा एवं उपलब्धि प्राप्त करने का निरन्तर लक्ष्य रखना;

(viii) स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित एवं सुसंगत सभी विधाओं, विशेषतः ये जो सम्प्रति स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के पाठ्यविवरण में पर्याप्त रूप से शामिल नहीं है में अत्याधुनिक शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के लिये उत्कृष्टता के केन्द्र विकसित करना। इसमें जनसंख्या विज्ञान, स्वास्थ्य पद्धति शोध, स्वास्थ्य सेवा शोष, परिचालन शोध, स्वास्थ्य पद्धतियाँ एवं स्वास्थ्य सेवाएँ प्रबंधन, स्वास्थ्य संरचना सुधार, मानव संसाधन विकास, शैक्षणिक प्रौद्योगिकी जैव सूचना विज्ञान दूरगितिकी, मेडिकल अनुलिपिकरण, महामारी विज्ञान संबंधी शोध प्रावैधिकी, स्वास्थ्य विज्ञान में सतृत शिक्षण और विज्ञान की ऐसी शाखा, जिसे शामिल किया जाना समीचीन समझा जाय, शामिल किये जायेंगे;

(ix) विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान केन्द्रों के सृजन को सुगम बनाना तथा बढ़ावा देना और ग्राहक को इलेक्ट्रोनिक रूप से आवश्यकता आधारित सुसंगत जानकारी प्रसारित करना;

(x) शिक्षकों के लिए उनके संबंधित और अंत विषय क्षेत्रों में गुणवत्ता सुधार अभिकरण के रूप में कार्य करना।

(xi) ऐसे प्रावधान करना जिसमे संबद्ध महाविद्यालय अध्ययन में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकें।

6. विश्वविद्यालय की शक्तियाँ एवं कृत्य- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कृत्य होंगे।

(i) ज्ञान के विकास तथा प्रचार-प्रसार के लिए व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा देने, उत्कमित करने, प्रशिक्षण एवं शोध को विकसित एवं समुन्नत करने हेतु प्रावधान करना

(ii) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, तकनीकि प्रशासनिक प्रबंधकीय परामर्शी अनुसचिवीय एवं अन्य समर्थन सेवाओं से संबंधित पदों का सृजन एवं नियुक्ति

(iii) उन शर्तों के अध्यधीन जो विश्वविद्यालय विनिश्चत करे, परीक्षाओं का संचालन करना तथा परीक्षाओं, मूल्यांकन अथवा जाँच की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट प्रदान करना एवं डिग्री या अन्य शैक्षणिक उपाधि देना और किसी समुचित एवं पर्याप्त कारण से इस तरह के किसी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक उपाधियाँ वापस लेना

(iv) परिनियम द्वारा विहित रीति से मानद डिग्री या अन्य उपाधि देना

(v) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित आचार्य पद, प्रिंसिपलशीप प्रोफेसरशीप, रीडरशीप एवं लेक्चरशीप तथा अन्य शिक्षण तथा शैक्षणिक पद संस्थित करना तथा ऐसे आचार्यपद प्रिंसिपलशीप, रीडरशीप, लेक्चरशीप तथा अन्य शिक्षण एवं शैक्षणिक पदो पर व्यक्तियों को नियुक्त करना:

(vi) व्यक्तियों को प्राध्यापक, रीडर / सह-प्राध्यापक या लेक्चरर / सहायक प्राध्यापक के रूप में एवं अन्य को विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में मान्यता देना

(vii) अतिथि प्राध्यापक, सेवामुक्त प्राध्यापक, सलाहकार, विद्वानों तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों को संविदा पर अथवा अन्यथा नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने में योगदान करें

(viii) अनुसंधान और अन्य कार्यों के मुद्रण, पुनरूपादन और प्रकाशन की व्यवस्था करना और प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, सम्मेलनों आदि का आयोजन करना।

(ix) स्टाफ की सभी कोटियों की सेवा शर्तों को उनके आचार संहिता सहित, अधिकथित करना

(x) विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर अवस्थित महाविद्यालयों या संस्थाओं को अपना विशेषाधिकार सम्बद्ध के रूप में देना तथा परिनियम या अध्यादेश या विनियमावलियों द्वारा यथा विहित शर्तों के अनुसार पूर्ण संबद्धता सहित सभी विशेषाधिकारों या उनमें से किसी को वापस लेना;

(xi) भारत या विदेश में उच्चतर शिक्षण के किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकार या संस्था अथवा शोध निकायों के साथ यथा विहित रीति से इस प्रयोजनार्थ जो विश्वविद्यालय विनिश्चत करे सहकार करना या सहयोग करना या सहयुक्त करना;

(xii) स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थाओं के छात्रों पर प्राचार्य परीक्षा शुल्क एवं अन्य सहयुक्त प्रभार को विनियमित करना

(xiii) परीक्षा, मूल्यांकन अथवा जाँच की किसी अन्य पद्धति सहित विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय का विशेषाधिकार प्राप्त संस्थाओं में नामांकन के मानकों का विनिश्चय करना जबतक कि ऐसा विनिश्चय संबंधित शीर्ष व्यावसायिक नियामक निकाय द्वारा न किया गया हो.

(xiv) शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्रों के स्वास्थ्य एवं सामान्य कल्याण को उन्नत करने की व्यवस्था करना तथा विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त सम्बद्ध महाविद्यालय एवं संस्थाओं को इसके लिये मार्गदर्शन करना

(xv) फेलोशीप, छात्रवृत्ति, अध्ययन वृत्ति पदक तथा पुरस्कारों को संस्थित करना तथा देना;

(xvi) संबद्ध महाविद्यालयों या संस्थाओं के प्रबन्धन का आचार संहिता बनाना;

(xvii) छात्रों एवं कर्मचारियों के बीच अनुशासन विनियमित तथा प्रवृत्त करना और इस संबंध में ऐसे अनुशासनात्मक अध्युपाय करना जो विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाय;

(xviii) उपकृति, चंदा और अनुदान प्राप्त करना तथा न्यास एवं दातव्य संपत्तियों सहित विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ चल एवं अचल संपत्ति को अर्जित करना, धारित करना, प्रबंधन करना तथा व्ययनित करना;

परन्तु राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय कोई अचल संपत्ति व्ययनित नहीं की जायेगी।

(xix) कार्यकारिणी परिषद् की अनुमति से उधार लेना या देना तथा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय की संपत्ति की प्रतिभूति पर विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ धन उधार लेना;

(xx) मांग नियत करना तथा यथा विहित शुल्क एवं अन्य प्रभार प्राप्त तथा वसूल करना :

(xxi) पारितोषिक, पदक, शोध छात्रवृत्ति प्रदर्शनी तथा फेलोशीप संस्थित एवं प्रदान करना

(xxii)अध्ययन के विषय, विशिष्टीकरण के क्षेत्र, शिक्षा के स्तर, राज्य में तकनीकी मानव शक्ति के कौशल एवं प्रशिक्षण की अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों आधारों पर आवश्यकताओं का निर्धारण करना तथा इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्यक्रम आरम्भ करना;

(xxiii) विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों एवं संस्थानों के कार्यरत शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों क जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु एक तंत्र का विकास करना

(xxiv) विश्वविद्यालय के सभी अथवा किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सभी ऐसे अन्य कार्य तथा चीज़ करना जो आवश्यक आनुषांगिक तथा सहायक हो

(xxv) पूरक सुविधाओं की प्राप्ति हेतु उद्योगों और सरकार की सहकारिता को सूचीबद्ध करने हेतु उपायों को आरम्भ करना।

(xxvi) ज्ञान, प्रशिक्षण देने तथा पाठ्यपुस्तक एवं अनुदेशात्मक सामग्रियों की तैयारी करने में लगातार प्रयोग को सुकर बनाना लिये;

(xxvii) शैक्षणिक उपायों में निरन्तर मूल्याकन की प्रगतिशील प्रस्तुती तथा विषयों के पुनः अभिसंस्करण के व्यवस्था करना;

(xxviii) अपने शिक्षकों एवं छात्रों के बीच उद्योग-उपक्रमी योग्यता को अग्रसर करना,

(xxix) स्वास्थ्य विज्ञान की आवश्यकता तथा उसके व्यवसाय में अवसर तथा उसके दायित्वों और समाज के प्रति सेवाओं के संबंध में जनता को शिक्षित करना

(xxx) विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकरण को अपने सभी या किसी भी शक्ति (संविधि और विनियम बनाने की शक्ति को छोड़कर) को सौपना और ऐसे अन्य कार्य और चीजें करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किसी उद्देश्य को प्राप्ति या विस्तार के लिए विश्वविद्यालय आवश्यक, अनुकूल या अनुषांगिक समझे;

7. लिंग, वर्ग या पंथ का ध्यान न रखते हुए सभी व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय का खुला रहना- विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए चाहे उनके लिंग, जाति, पंथ, मूलवंश या वर्ग जो भी हो खुला रहेगा

और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि विश्वविद्यालय में कोई पद धारित करने के लिए नियुक्ति के हकदारी हेतु अथवा विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में नामांकित होने या वहां स्नातक करने के लिए अथवा उसके विशेषाधिकार का उपयोग या प्रयोग करने हेतु किसी व्यक्ति पर कोई जांच अधिकार या अधिरोपित किया जाय चाहे उसका धार्मिक विश्वास एवं व्यवसाय जो भी हो।

परन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि महिला, शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों अथवा समाज के सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए नियोजन अथवा नामांकन के लिए विशेष प्रावधान करने से विश्वविद्यालय को रोका गया है।

8. नामांकन में आरक्षण-विश्वविद्यालय सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए अंगीभूत महाविद्यालयों में स्थानों का आरक्षण सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर यथा अवधारित सिद्धांतों के अनुसार करेगा।

9. कुलाधिपति-

(i) झारखण्ड के मुख्यमंत्री अपने पद के फलस्वरूप विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे।
(ii) कुलाधिपति, जब उपस्थित हो विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह और शासी निकाय की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

(iii) कुलाधिपति को अधिकार होगा कि विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्राप्त, यथास्थिति, महाविद्यालय या संस्था तथा उसके भवनों, प्रयोगशालाओं एवं उपकरणों और यथास्थिति, विश्वविद्यालय महाविद्यालय या संस्था द्वारा संचालित परीक्षा शिक्षण एवं किये गये अन्य कार्यों का भी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिसे या जिन्हें निदेशित करें निरीक्षण करवायें तथा यथास्थिति विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था के प्रशासन अथवा वित्त से संबंधित किसी विषय के संबंध में इसी प्रकार से जोध पड़ताल करवायें।

(iv) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले, में विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालयों या संस्थाओं के शासी निकाय को उनका निरीक्षण या जाँच पड़ताल करवाने हेतु अपने आशय की सूचना देंगे तथा यथास्थिति, विश्वविद्यालय या शासी निकाय को ऐसी सूचना प्राप्त होने पर कुलाधिपति के समक्ष, ऐसा अभ्यावेदन जो आवश्यक विचार किया जाय सूचना में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर देने का अधिकार होगा।

(v) विश्वविद्यालय या शासी निकाय द्वारा दिये गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचारण के बाद कुलाधिपति उपधारा (3) में यथा निर्देशित निरीक्षण या जाँच पड़ताल करवा सकेंगे।

(vi) जहाँ निरीक्षण या जांच-पड़ताल कुलाधिपति द्वारा करवायी जाय, वहाँ विश्वविद्यालय या शासी निकाय एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे उस निरीक्षण अथवा जाँच पड़ताल में उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार होगा।

(vii) कुलाधिपति उपधारा (3) मे यथानिदेशित उस निरीक्षण या जाँच-पड़ताल के परिणाम के संबंध में कुलपति को संबोधित कर सकेंगे और कुलपति कुलाधिपति के विचारों को, उस सलाह के साथ, उसपर कार्रवाई करने हेतु कुलाधिपति द्वारा दिया गया हो, कार्यकारिणी परिषद् को संसूचित कर देंगे।

(viii) यदि निरीक्षण या जाँच-पड़ताल, विश्वविद्यालय द्वारा विशेषाधिकार प्राप्त किसी महाविद्यालय या संस्था के संबंध में की गयी हो तो कुलाधिपति उस निरीक्षण या जाँच पड़ताल के परिणाम के बारे में अपने विचार कुलपति के माध्यम से शासी निकाय को संबोधित कर सकेंगे तथा उस पर कार्रवाई करने की ऐसी सलाह देंगे, जैसी चाहें।

(ix) कार्यकारिणी परिषद कुलपति के माध्यम से, उस कार्रवाई को, यदि कोई हो, जो उस निरीक्षण अथवा जाँच-पड़ताल के परिणाम पर करने का प्रस्ताव हो अथवा की गयी हो, कुलाधिपति को संसूचित करेंगे।

(x) जहाँ यथास्थिति, कार्यकारिणी परिषद् या शासी निकाय युक्तियुक्त समय के भीतर, कुलाधिपति के संतोष के अनुरूप कार्रवाई नहीं करे वहाँ कुलाधिपति कार्यकारिणी परिषद् या शासी निकाय द्वारा भेजे गए स्पष्टीकरण अथवा दिये गए अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद ऐसे निदेश जारी कर सकेंगे जैसा वे उचित समझें तथा यथास्थिति कार्यकारिणी परिषद् अथवा शासी निकाय उन निदेशों का अनुपालन करेगा।

(xi)) इस धारा के पूर्ववर्ती प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाधिपति, लिखित आदेश द्वारा विश्वविद्यालय की किसी कार्यवाही को बातील (निस्प्रभावी) कर सकेंगे जो इस अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश के अनुरूप न हो;

परन्तु कोई ऐसा आदेश करने के पूर्व, कुलाधिपति, रजिस्ट्रार को कारण दर्शाने हेतु कहेंगे कि क्यों नहीं ऐसा आदेश पारित किया जाय और यदि युक्तियुक्त समय-सीमा के भीतर कारण दर्शाया जाय तो ये उस पर विचार करेंगे।

(xii) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों के बीच किसी भी मामले पर मतभेद की दशा में जिसे अन्यथा हल नहीं किया जा सकता है, कुलाधिपति का निर्णय अंतिम होगा।

(xiii) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियाँ प्राप्त होगी जो परिनियम द्वारा विहित की जाय।

10. विश्वविद्यालय के पदाधिकारी विश्वविद्यालय के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे:-

(i) कुलपति,

(ii) संकायों के डीन,

(iii) रजिस्ट्रार,

(iv) वित्त पदाधिकारी,

(v) परीक्षा नियंत्रक,

(vi) संपदा पदाधिकारी,

(vii) डीन, छात्र कल्याण

(Vili) पुस्तकालयाध्यक्ष,

(ix) ऐसे अन्य पदाधिकारी जिन्हें परिनियम द्वारा विश्वविद्यालय का पदाधिकारी होना घोषित किया जाय।

11. कुलपति-

(i) कुलपति, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले शिक्षाविद अथवा प्रतिष्ठित चिकित्सक अथवा स्वास्थ्य चिकित्सा विज्ञान की अकादमिक पृष्ठभूमि के साथ मानव संसाधन विकास में पर्याप्त अनुभव रखने वाले एक प्रशासक होंगे।

(ii) कुलपति, कुलाधिपति द्वारा झारखण्ड सरकार के परामर्श से इस धारा की उपधारा (3) के अधीन गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुशंसित तीन से अन्यून व्यक्तियों (नाम वर्णाक्रम से व्यवस्थित होंगे) के पैनल से नियुक्त किये जायेंगे;

परन्तु कुलाधिपति उस प्रकार अनुशंसित व्यक्तियों में से किसी को अनुमोदित नहीं करें तो वे नयी अनुशंसाओं की माँग कर सकेंगे।

(iii) इस धारा की उपधारा (2) में निर्देशित समिति में तीन सदस्य होंगे जिनमें एक कार्यकारिणी परिषद् द्वारा, एक कुलाधिपति द्वारा और एक सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट होंगे और सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति समिति के संयोजक होंगे

परन्तु समिति का कोई भी सदस्य विश्वविद्यालय का कर्मचारी नहीं होगा, परन्तु और कि पैनल जन अभ्यर्थियों के बीच से तैयार किया जायेगा जो अपना बायोडाटा समर्पित करेंगे अथवा स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में कुछ ख्याति प्राप्त व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा अनुशंसित किये जायेंगे।

(iv) प्रथम कुलपति सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

(v) कुलपति अपना पदधारण करने की तिथि से तीन वर्षों के लिये पद धारण करेंगे और अगले कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे परन्तु कुलाधिपति कार्यकाल की समाप्ति के बाद कुलपति से उस अवधि तक, जो कुल एक वर्ष से अधिक न हो, उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट पद पर बने रहने की अपेक्षा कर सकेंगे।

परन्तु यह भी कि कुलपति के पद पर बने रहने के लिये अधिकतम आयु सीमा सत्तर वर्ष होगी।

(vi) कुलपति की परिलब्धियाँ एवं अन्य सेवाशर्त वहीं होंगी जो परिनियम द्वारा विहित की जाय।

(vii) यदि कुलपति का पद मृत्यु, पद त्याग, अथवा अन्यथा खाली हो जाय अथवा यदि अस्वस्थता या किसी अन्य कारण से वे अपने कर्त्तव्यों का अनुपालन करने में असमर्थ हो जाय तो कुलाधिपति किसी लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति जो आवयश्क पात्रता धारित करते हो, को कुलपति के कृत्यों का अनुपालन जब तक करने के लिए पदानिहित करेंगे तब तक यथास्थिति, नये कुलपति कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेते अथवा जब तक विद्यमान कुलपति अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित नहीं हो जाते।

12. कुलपति की शक्तियाँ, कर्त्तव्य एवं कृत्य –

(i) कुलपति विश्वविद्यालय के प्रधान कार्यपालक एवं शैक्षणिक पदाधिकारी होंगे और विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करेंगे तथा विश्वविद्यालय के प्राधिकारों के विनिश्चयों को प्रभावी करेंगे।

(ii) कुलपति, यदि उनकी राय हो कि किसी विषय पर तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है. इस अधिनियम द्वारा / के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकेंगे और अगली बैठक में उस प्राधिकार को उनके द्वारा उस विषय में की गयी कार्रवाई के संबंध में प्रतिवेदन देंगे:

परन्तु शक्ति का इस प्रकार प्रयोग केवल आपात स्थितियों में किया जायेगा और किसी भी दशा में पद-सृजन और उत्क्रम तथा उसपर नियुक्तियों के संबंध में नहीं;

परन्तु और कि संबंधित प्राधिकार की राय हो कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी तो वह उस विषय को कुलाधिपति को निर्देशित कर सकेंगे जिनका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा:

परन्तु और भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में कोई व्यक्ति जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से व्यथित हो तो उसे जिस तिथि को विनिश्चय, उसे संसूचित किया गया हो. उसके तीन माह के भीतर कुलाधिपति को उस कार्रवाई के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा और तब कुलाधिपति कुलपति द्वारा की गयी कार्रवाई को संपुष्ट, उपांतरित अथवा उलट सकेंगे।

(iii) कुलपति, यदि उनकी राय हो कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार का कोई विनिश्चय इस अधिनियम परिनियम या अध्यादेश के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार की शक्तियों के बाहर है अथवा किया गया कोई विनिश्चय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, तो संबंधित प्राधिकार से उस विनिश्चय का पुनरीक्षण उस विनिश्चय की तिथि से साठ दिनों के भीतर करने हेतु कह सकेंगे और यदि वह प्राधिकार उस विनिश्चय का पुनरीक्षण पूर्णतः या अंशतः करने से इन्कार करे अथवा उसके द्वारा उक्त साठ दिनों के भीतर कोई निर्णय नहीं लिया जाय तो यह विषय कुलाधिपति को निर्देशित कर दिया जायेगा, जिनका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

(iv) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेंगे जो परिनियम या अध्यादेश द्वारा विहित किये जायें।

(v) कुलपति कार्यकारिणी परिषद्, वित्त समिति, एकेडमिक काउन्सिल एवं प्लानिंग बोर्ड के अध्यक्ष होंगे।

(vi) कुलपति, कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षांत समारोह एवं शासी निकाय की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

13. कुलपति को पद से हटाया जाना-

(i) ऐसी जाँच-पड़ताल के बाद जैसा आवश्यक विचार किया जाय, यदि कुलाधिपति को किसी भी समय यह प्रतीत हो कि कुलपति -

(a) इस अधिनियम, परिनियम या अध्यादेश के अधीन उन पर अधिरोपित किसी कर्त्तव्य के निर्वहन में असफल हो गये हैं, अथवा

(b) विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल रीति से कार्य किये हैं, अथवा

(c) विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों का प्रबंधन करने में असमर्थ रहे है, तो कुलाधिपति इस तथ्य के होते हुए भी कि कुलपति का कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है, लिखित आदेश द्वारा उसमें कारण अधिकथित करते हुए और राज्य सरकार के परामर्श से कुलपति से आदेश में यथा विनिर्दिष्ट तिथि से अपने पद से त्याग पत्र देने की अपेक्षा कर सकेंगे।

(ii) उपधारा (1) के अधीन तब तक कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा जब तक विनिर्दिष्ट आधारों, जिस पर वह कार्रवाई प्रस्तावित हो, को अधिकथित करते हुए एक सूचना तामिल न की गयी हो और प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने हेतु युक्तियुक्त अवसर कुलपति को न दे दिया गया हो।

(iii) इस धारा की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट तिथि को / से यह समझा जायेगा कि कुलपति ने पदत्याग कर दिया है और कुलपति का पद खाली समझा जायेगा।

14. डीन- डीन उस रीति से नियुक्त किये जायेंगे और उन शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा उन कर्त्तव्यों का अनुपालन करेंगे जो परिनियम द्वारा विहित किये गए हो।

15. रजिस्ट्रार -

(i) रजिस्ट्रार उस रीति से तथा सेवा के उन और शर्तों पर नियुक्त किये जायेंगे जो परिनियम द्वारा विहित किये जायें। तथापि, विश्वविद्यालय के प्रथम पंजिस्ट्रार सरकार द्वारा नियुक्त किए जायेंगे न वर्षो अथवा परिनियम में विहित रीति के अनुसार नियुक्ति होने तक जो पहले हो एक पद धारण करेंगे ।

(ii) रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय की ओर से एकरारनामा करने, दस्तावेजों को हस्ताक्षरित करने तथा अभिलेखों को अधिप्रमाणीकृत करने की शक्ति होगी तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो परिनियम द्वारा विहित किये जाये।

16. वित्त पदाधिकारी-

(i) विश्वविद्यालय के कार्यकारिणी परिषद, सरकार द्वारा दिये गये राज्य/केन्द्रीय वित्त सेवा/केन्द्रीय राजस्व सेवा / लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा से आने वाले पदाधिकारियों के नामों के पैनल में से किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी के रूप में नियमावली द्वारा यथाविहित अवधि एवं शर्तों पर नियुक्त करेगी। तथापि, विश्वविद्यालय के प्रथम वित्त पदाधिकारी सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे तथा तीन वर्षो तक अथवा परिनियम में विहित रीति के अनुसार वित्त पदाधिकारी नियुक्त होने तक जो पहले होत पद धारण करेंगे।

(ii) वित्त पदाधिकारी, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा एवं कुलपति के नियंत्रण के अध्यधीन यथाविहित शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का संपादन करेगा।

17. परीक्षा नियंत्रक- परीक्षा नियंत्रक, उस रीति से और उन निबंधन एवं सेवाशर्तों पर नियुक्त किये जायेंगे तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे जो परिनियम द्वारा विहित किये जायें। तथापि विश्वविद्यालय के प्रथम परीक्षा नियंत्रक सरकार द्वारा नियुक्त किए जायेंगे तथा तीन वर्षो तक

अथवा परिनियम में विहित रीति के अनुसार परीक्षा नियंत्रक नियुक्त होने तक जो पहले हो, तक पद धारण करेंगे।

18. संपदा अधिकारी- विश्वविद्यालय के सभी भवनों, मैदान, बाग-बगीचे तथा अन्य अचल संपत्तियों के भारसाधक (इंचार्ज) संपदा अधिकारी होगे।

19. डीन छात्र कल्याण- डीन छात्र कल्याण का कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय के छात्रों के प्रवासन हेतु सुविधायें उपलब्ध करायेंगे, छात्रों को परामर्श हेतु कार्यक्रम आयोजित करायेंगे, अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों की निगरानी करेंगे तथा विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती छात्रों से सम्पर्क स्थापित करने में मदद करेंगे।

20.अन्य पदाधिकारी- विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की रीति शक्तियाँ तथा कर्तव्य वही होंगे जो परिनियम द्वारा विहित किए जायें।

21. विश्वविद्यालय के प्राधिकार- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकार होंगे :-

(i) शासी निकाय,

(ii) कार्यकारिणी परिषद्

(ii) शैक्षणिक परिषद्

(iv) अध्ययन बोर्ड

(v) योजना बोर्ड

(vi) संबद्धता बोर्ड

(vii) वित्त समिति और

(vii) अन्य ऐसे प्राधिकार जो परिनियम द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकार घोषित किये जायें।

22. शासी निकाय

(i) शासी निकाय में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे-

(a) कुलाधिपति,

(b) मंत्री स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार,

(C) मंत्री, उच्च एवं तकनिकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार,

(d) मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार,

(e) कुलपति

(f) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, स्वास्थ्य विभाग, झारखण्ड सरकार

(g) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के पद से अन्यून हो,

(h) निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं झारखण्ड सरकार,

(i) निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, झारखण्ड सरकार,

(j) निबंधक

(k) अध्यक्ष, छात्र संघ,

(l) निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवघर

(m) निदेशक, राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), रांची

(n) निदेशक, रोची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास). काँके, राँची

(o) पाँच प्राचार्य जिसमें संबद्ध सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के एक प्राचार्य, सरकारी दत्त चिकित्सा महाविद्यालय से एक प्राचार्य, सरकारी आयुष चिकित्सा महाविद्यालय से एक प्राचार्य, सरकारी नर्सिंग कॉलेज से एक प्राचार्य तथा सरकारी फार्मेसी महाविद्यालय / फिजियोथेरापी और ऑक्यूपेशनल थेरापी / पारामेडिकल संस्थानों में से एक प्राचार्य शामिल है। यह सरकार के द्वारा चक्रानुसार तीन वर्षों के लिये नामित होंगे।

(p) स्वास्थ्य विज्ञान में रूचि रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से सरकार द्वारा चार व्यक्तियों को इस शर्त के साथ अधिनामित किया जायेगा कि इनमें से एक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति होगा और उनमें एक महिला सदस्य नामित होगी.

(q) प्रत्येक शीर्ष व्यावसायिक नियामक निकाय से एक प्रतिनिधि और

(r) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, प्रशासनिक और प्रबन्धकीय कर्मचारी में से निर्वाचित एक सदस्य

(ii) रजिस्ट्रार शासी निकाय का पदेन सचिव होगा।

(iii) जब कोई व्यक्ति धारित पद या नियुक्ति के कारण से शासी निकाय का सदस्य बन जाता है तो उसकी सदस्यता इस पद या नियुक्ति की समाप्ति के साथ समाप्त हो जायेगी।

(iv) पदेन सदस्यों से अन्यथा शासी निकाय के मनोनीत और निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा।

(v) शासी निकाय के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जायेगी यदि वह इस्तीफा दे दे, विकृत मस्तिष्क का हो जाय, दिवालिया हो जाय या नैतिक अधमता से जुड़े दांडिक अपराध के लिये दोषी ठहराया जाय। कुलपति कुलसचिव से अन्यथा कोई सदस्य भी सदस्य नहीं रहेगा यदि वह विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार करता है या यदि वह पदेन सदस्य न हो तो कुलाधिपति की अनुमति के बिना शासी निकाय की बैठक में लगातार तीन बार भाग लेने में असफल होता है।

(vi) पदेन सदस्य से अन्यथा शासी निकाय का कोई सदस्य कुलाधिपति को संबोधित एक पत्र के द्वारा अपने पद से इस्तिफा दे सकता है और ऐसा इस्तीफा स्वीकार किये जाने के तुरन्त बाद प्रभावी होगा।

(vii) शासी निकाय में किसी भी रिक्ति को संबंधित नाम निर्देशन प्राधिकारी द्वारा कार्यकाल की शेष अवधि के लिये मनोनयन द्वारा भरा जायेगा और रिक्ति की अवधि की समाप्ति पर ऐसा मनोनयन निस्प्रभावी हो जायेगा।

23. शासी निकाय की शक्तियाँ कृत्य एवं बैठक :--

(i) शासी निकाय विश्वविद्यालय का पूर्ण प्राधिकरण होगा और समय-समय पर विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण और समीक्षा करेगा और विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपाय करेगा और उसके पास निम्नलिखित शक्तियाँ और कार्य भी होंगे, यथा:-

(a) कार्यकारिणी परिषद् द्वारा तैयार रिपोर्ट, वित्तीय विवरण और बजट अनुमानों पर विचार करना और उन्हें पारित करना और संशोधन के साथ या बिना उन्हें अंगिकृत करना

(b) विश्वविद्यालय के कार्य-कलापों के प्रशासन से संबंधित परिनियम बनाना जिसमें विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और अधिकारियों द्वारा उनके कार्यों के निर्वहन में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को विहित करना भी शामिल है।

(ii) शासी निकाय की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी एवं इसकी तिथि कुलाधिपति द्वारा निर्धारित की जायेगी तथा उक्त में से एक बैठक वार्षिक बैठक कही जायेगी।

(a) कुलाधिपति, जब कभी वह ठीक समझें और शासी निकाय के कम-से-कम 15 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित मांग पर शासी निकाय की एक विशेष बैठक बुला सकेंगे।

(b) शासी निकाय की प्रत्येक बैठक के लिए चैदह दिन का नोटिस दिया जाएगा तथापि आपात स्थिति में कुलाधिपति द्वारा अल्प सूचना पर शासी निकाय की बैठक बुलाई जा सकती है।

(c) शासी निकाय की नामावली में विद्यमान सदस्यों की एक तिहाई से गणपूर्ति होगी।

(d) प्रत्येक सदस्यों के पास एक मत देने का अधिकार होगा यदि शासी निकाय द्वारा निर्धारित किए जाने वाले किसी भी प्रश्न पर मतों की समानता है तो बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के पास इसके अतिरिक्त एक निर्णायक मत होगा।

(e) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कत्र्तव्यों का पालन करना जो अधिनियम या नियमों द्वारा प्रदान किया जाय या सौंपें जाय।

24. कार्यकारिणी परिषद् -

(i) कार्यकारिणी परिषद् विश्वविद्यालय की प्रधान कार्यकारिणी निकाय होगी।

(ii) कार्यकारिणी परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे -

(a) विश्वविद्यालय के कुलपति;

(b) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, झारखण्ड सरकार या उनका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के पद से अन्यून हो ;

(c) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार या उनका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के पद से अन्यून हो ;

(d) निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड सरकार ;

(e) निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, झारखण्ड सरकार ;

(f) विश्वविद्यालय के कुलसचिव (रजिस्ट्रार);

(g) कुलाधिपति द्वारा नामित किये जाने वाले तीन शिक्षक, जिनमें से एक विभाग के प्रमुखों में से, एक प्राध्यापकों में से और एक सह-प्राध्यापकों में से एक वर्ष की अवधि के लिये चक्रानुक्रम में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों/अन्य महाविद्यालयों में से होगा।

(iii) कुलपति कार्यकारिणी परिषद् के अध्यक्ष होंगे ;

(a) जहां कोई व्यक्ति अपने पद या नियुक्ति के कारण कार्यकारिणी परिषद का सदस्य बन गया हो, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी जब वह उस पद पर नहीं रहे या उसकी नियुक्ति समाप्त हो जाय;

(b) पदेन सदस्यों को छोड़कर कार्यकारिणी परिषद् के मनोनीत सदस्यों की पदावधि तीन वर्षों की होगी ;

(c) कार्यकारिणी परिषद का कोई सदस्य सदस्य नहीं रहेगा यदि वह त्यागपत्र दे देता है या विकृत दिमाग का हो जाता है या दिवालिया हो जाता है या नैतिक अधमता से जुडे दांडिक अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है। कुलपति तथा रजिस्ट्रार से अन्यथा कोई अन्य सदस्य भी सदस्य नहीं रहेगा यदि वह विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार करता है;

(d) पदेन सदस्य के अलावा कार्यकारिणी परिषद् का कोई सदस्य कुलपति को संबोधित एक पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र उसके द्वारा स्वीकार किए जाने के तुरंत बाद प्रभावी होगा ;

(e) कार्यकारिणी परिषद् में किसी भी रिक्ति को संबंधित नाम निर्देशन प्राधिकारी द्वारा कार्यकाल की शेष अवधि के लिए मनोनयन से भरा जाएगा तथा रिक्ति की अवधि की समाप्ति पर, ऐसा मनोनयन प्रभावी नहीं रहेगा।

(iv) कार्यकारिणी परिषद् की शक्तियाँ, कार्य और बैठकें ;

(a) कार्यकारिणी परिषद् विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यकारिणी प्राधिकरण होगा और इस प्रकार इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गये परिनियमों के प्रावधानों के अधीन विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए इसे आवश्यक सभी शक्तियां होंगी, और इस प्रयोजन के लिए और इसमें उपबंधित विषयों के संबंध में भी विनियम बना सकेगी।

(b) कार्यकारिणी परिषद् के पास निम्नलिखित शक्तियाँ और कार्य होंगे ;

(i) वार्षिक बैठक प्रतिवेदन तैयार करना ;

(ii) विश्वविद्यालय के कामकाज पर एक रिपोर्ट

(iii) खातों का विवरण ;

(iv) आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए बजट प्रस्ताव ;

(v) विश्वविद्यालय के वित्त, खातो, निवेशो संपत्तियो, व्यवसाय और अन्य सभी प्रशासनिक कार्यकलापों का प्रबंधन और विनियमन करना और इस प्रयोजन के लिए समितियों का गठन करना और ऐसी समितियों या विश्वविद्यालय के ऐसे अधिकारियों को अधिकार सौंपना जो वह उचित समझे ;

(vi) विश्वविद्यालय की ओर से किसी चल या अचल संपति का अंतरण करना या अंतरण स्वीकार करना ;

(vii) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना, उसमें बदलाव करना, उसे पूरा करना और रद्द करना और इस प्रयोजन के लिए ऐसे पदाधिकारियों को नियुक्त करना जिन्हें वह ठीक समझे ;

(viii) विश्वविद्यालय के कार्य को चलाने के लिए आवश्यक भवन, परिसर, उपस्कर और उपकरण और अन्य साधन उपलब्ध कराना ;

(ix) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों की किसी भी शिकायत को लेना, उस पर न्याय निर्णय करना और यदि वह ठीक समझे तो उसका निवारण करना ;

(x) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना, ऐसे पदों की संख्या और परिलब्धियों का निर्धारण करना, ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताएं सेवा के ऐसे निबंधन और शर्तों पर विनिर्दिष्ट करना जो इस निमित्त बनाए गए परिनियमों एवं विनियमों द्वारा विहित किया जाय ;

(xi) परीक्षकों और अनुसीमकों (माडरेटरों) को नियुक्त करना, और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना और उनकी फीस, परिलब्धियां और यात्रा एवं अन्य भत्ते अकादमिक परिषद् से परामर्श करने के बाद नियत करना ;

(xii) विश्वविद्यालय के लिए एक सामान्य मुहर का चयन करना; तथा

(xiii) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो आवश्यक समझे जाएँ या इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन उस पर अधिरोपित किया जाय।

(c) (i) कार्यकारिणी परिषद् की बैठक कम से कम चार महीने में एक बार होगी और ऐसी बैठकों की कम से कम चौदह दिन की सूचना दी जायेगी ;

(ii) कार्यकारिणी परिषद् की बैठक कुलपति के निर्देशों के अधीन या कार्यकारिणी परिषद् के कम से कम पांच सदस्यों के अनुरोध पर रजिस्ट्रार द्वारा बुलाई जाएगी;

(iii) कार्यकारिणी परिषद् के आधे सदस्य से किसी भी बैठक की गणपूर्ति होगी ;

(iv) सदस्यों के बीच मतभेद के मामले में, बहुमत की राय अभिभावी होगी ;

(v) कार्यकारिणी परिषद् के प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगा और यदि कार्यकारिणी परिषद् द्वारा निर्धारित किए जाने वाले किसी भी प्रश्न पर मतों की समानता हो, तो यथास्थिति कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष या उस बैठक की अध्यक्षता करने वाला सदस्य के पास अपने मत के अलावा एक निर्णायक मत होगा;

(vi) कार्यकारिणी परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कुलपति द्वारा और उनकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुने गए सदस्य द्वारा की जाएगी ;

(vii) यदि कार्यकारिणी परिषद् द्वारा तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो जाती है, तो कुलपति कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों को कागजात के संचलन द्वारा कार्य करने की अनुमति दे सकेंगे। इस प्रकार लिए गए निर्णय तब तक मान्य नहीं होंगे जब तक कि कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों के बहुमत द्वारा सहमति नहीं दी जाती हो। ऐसे निर्णय कार्यकारिणी परिषद् के सभी सदस्यों को तत्काल सूचित किये जायेंगे। यदि कार्यकारिणी परिषद् निर्णय लेने में विफल रहती है तो मामला कुलाधिपति को भेजा जाएगा जिनका निर्णय अंतिम होगा।

25. अकादमिक परिषद -

(i) अकादमिक परिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियम और विनियमों के प्रावधानों के अधीन, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय और सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

(ii) अकादमिक परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, यथा:

(a) कुलपति-अध्यक्ष;

(b) सभी डीन;

(c) अध्यक्ष, अध्ययन बोर्ड ;

(d) प्रतिष्ठित शिक्षाविदों से या साहित्यिक व्यक्तियों से या पेशेवर विद्वानों से या प्रतिष्ठित सार्वजनिक व्यक्तियों में से तीन व्यक्ति जो सेवा में नहीं है, कुलाधिपति द्वारा मनोनित होंगे ;

(e) शीर्ष व्यावसायिक नियामक निकायों में से प्रत्येक से एक मनोनीत ;

(f) निदेशक प्रमुख, चिकित्सा शिक्षा, झारखण्ड सरकार;

(g) झारखण्ड के सरकारी चिकित्सा/अन्य स्वास्थ्य विज्ञान महाविद्यालयों के दस प्राचार्य तीन वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम से झारखण्ड सरकार द्वारा मनोनीत किए जायेंगे;

(h) कुलपति द्वारा नामित सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय/अन्य स्वास्थ्य विज्ञान महाविद्यालय के शैक्षणिक चार सदस्य- एक-एक क्रमशःप्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं सीनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर के प्रतिनिधि होंगे; और

(i) निदेशक, राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), रांची

(j) निदेशक, राँची न्यूरो-मनोचिकित्सक और सहयोगी विज्ञान संस्थान (रिनपास), रांची हों;

(iii) अकादमिक परिषद् की शक्तियाँ, कार्य और बैठक -अधिनियम, परिनियम और विनियमों के प्रावधानों और कार्यकारिणी परिषद् के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन, अकादमिक परिषद् विश्वविद्यालय में शैक्षणिक

कार्यकलापों का प्रबंधन करेगी और विशेष रूप से निम्नलिखित शक्तियों और कार्यों का प्रयोग और पालन करेगी; यथा:-

(a) सामान्य परिषद् या कार्यकारिणी परिषद् द्वारा निर्दिष्ट या सौंपे गए किसी भी मामले पर प्रतिवेदन देना ;

(b) विश्वविद्यालय में पदों के सृजन, उन्मूलन या वर्गीकरण और देय परिलब्धियों और उससे जुड़े कर्तव्यों के संबंध में कार्यकारिणी परिषद् को अनुशंसा करना ;

(c) संकायों के संगठन के लिए योजनाओं को तैयार करना और उपांतरित करना या पुनरीक्षित करना, और ऐसे संकायों को उनसे संबंधित विषयों को सौंपना और कार्यकारिणी परिषद् को किसी भी संकाय के उन्मूलन या उप-विभाजन या एक संकाय को दूसरे के साथ संयोजन की समीचीनता के बारे में प्रतिवेदन देना ;

(d) विश्वविद्यालय के अधीन अनुसंधान को बढ़ावा देना और समय-समय पर इस तरह के अनुसंधान पर प्रतिवेदन की अपेक्षा करना;

(e) संकायों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना;

(f) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं की डिग्री की मान्यता की अनुशंसा करना और विश्वविद्यालय के प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा और डिग्री के संबंध में उनकी समकक्षता का निर्धारण करना;

(g) सामान्य परिषद् द्वारा स्वीकार की गई किसी भी शर्त के अधीन, फेलोशिप, छात्रवृति और अन्य पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा का समय, तरीका और शर्तें तय करना और उसके पुरस्कार के लिए अनुशंसा करना;

(h) परीक्षकों की नियुक्ति और यदि आवश्यक हो, तो उन्हें हटाने और उनकी फीस, परिलब्धियां और यात्रा और अन्य खर्चों के संबंध में कार्यकारिणी परिषद् को अनुशंसा करना;

(i) परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था और उन्हें आयोजित करने की तारीख की अनुशंसा करना;

(j) विभिन्न परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा या समीक्षा करना या ऐसा करने के लिए समितियों या पदाधिकारियों को नियुक्त करना और डिग्री, सम्मान, अनुज्ञप्ति, उपाधि और सम्मान प्रतीक प्रदान करने या देने के संबंध में अनुशंसा करना;

(k) वृत्तिका (स्टाइपेन्डस्), छात्रवृत्ति, पदक और पुरस्कार की अनुशंसा करना और विनियमों के अनुसार और ऐसी अन्य शर्तों पर अन्य पुरस्कार देना जो पुरस्कारों से संलग्न किए जाये;

(l) विहित या अनुशंसित पाठ्य पुस्तकों की सूचियों को अनुमोदित या पुनरीक्षित करना एवं प्रकाशित करना और अध्ययन के लिए पाठ्यक्रमों एवं पाठ्य विवरणों को अनुमोदित करना;

(m) ऐसे प्रपत्रों और पंजियों (रजिस्टरों) को अनुमोदित करना जो समय- समय पर विनियमों द्वारा अपेक्षित हों;

(n) शैक्षणिक मामलों के संबंध में, ऐसे सभी कर्तव्यों का पालन करना और ऐसे सभी कार्य करना जो इस अधिनियम, परिनियम और इसके तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हो।

(iv) (a) अकादमिक परिषद् जितनी बार आवश्यक हो, बैठक करेगी, लेकिन एक शैक्षणिक वर्ष के दौरान कम से कम दो बार बैठक होगी;

(b) अकादमिक परिषद् के वर्तमान सदस्यों में से आधे सदस्यों से अकादमिक परिषद् की बैठक की गणपूर्ति होगी;

(c) सदस्यों के बीच मतभेद होने की दशा में, बहुमत की राय अभिभावी होगी;

(d) अकादमिक परिषद् के अध्यक्ष सहित अकादमिक परिषद् के प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगा और यदि अकादमिक परिषद् द्वारा निर्धारित किए जाने वाले किसी भी प्रश्न पर मतों की समानता होती है तो यथास्थिति अकादमिक परिषद् के अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के पास अपने मत के अलावा एक निर्णायक मत होगा;

(e) अकादमिक परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कुलपति द्वारा की जाएगी और उनकी अनुपस्थिति में इस अवसर पर अध्यक्षता करने के लिए बैठक में चुने गए सदस्य द्वारा अध्यक्षता की जाएगी;

(f) यदि अकादमिक परिषद् द्वारा तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो जाती है, तो अकादमिक परिषद् के अध्यक्ष अकादमिक परिषद् के सदस्यों को कागजात के संचलन द्वारा कार्य करने की अनुमति दे सकेंगे। लिया गया निर्णय तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि अकादमिक परिषद् के सदस्यों के बहुमत द्वारा सहमति नहीं दी जाती है। ऐसे निर्णय की सूचना अकादमिक परिषद् के सदस्यों को तत्काल दी जाएगी। यदि अकादमिक परिषद् निर्णय लेने में विफल रहती है, तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा जिनका निर्णय अंतिम होगा।

26. योजना बोर्ड -

(i) योजना बोर्ड विश्वविद्यालय की उन्नति और विकास के लिए तथा इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु योजनाओं की तैयारी के लिए प्रधान निकाय होगा।

(ii) योजना बोर्ड का गठन निम्नलिखत से होगा:-

(a) कुलाधिपति;

(b) मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, झारखण्ड सरकार;

(c) कुलपति;

(d) मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार;

(e) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार;

(f) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, झारखण्ड सरकार;

(g) प्राचार्य, एम0जी0एम0 चिकित्सा महाविद्यालय, जमशेदपुर

(h) निदेशक, राजेन्द्र आर्युविज्ञान संस्थान (रिम्स), रांची;

(i) निदेशक, अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, देवघर;

(j) निदेशक, रिनपास, कांके, रांची

(k) निदेशक चिकित्सा शिक्षा, झारखण्ड सरकार ;

(l) कुलाधिपति द्वारा नामित दो प्राध्यापक;

(m) राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से नामित एक व्यक्ति।

(iii) योजना बोर्ड वर्ष में एक बार बैठक करेगा और विश्वविद्यालय के भविष्य के कार्यक्रमों की योजना तैयार करेगा और अकादमिक परिषद् और कार्यकारिणी परिषद् को इसकी अनुशंसा करेगा। यह जब कभी आवश्यक हो विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों के संबंध में दीर्घकालीन योजनाओं की भी अनुशंसा करेगा।

27. संबद्धता बोर्ड -

(i) संबद्धता बोर्ड विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों एवं संस्थाओं को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार में सम्मिलित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(ii) संबद्धता बोर्ड का गठन, इसके सदस्यों का कार्यकाल तथा उसके कृत्य परिनियम द्वारा विहित किये जायेंगे।

28. वित्त समिति -वित्त समिति का गठन, शक्तियाँ एवं कृत्य परिनियम द्वारा विहित किये जायेंगे।

29. अन्य प्राधिकार -अन्य प्राधिकारों, जो परिनियम द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकार घोषित किये जाये, के गठन, शक्तियाँ एवं कृत्य परिनियम द्वारा विहित किये जायेंगें।

30. परिनियम बनाने की शक्ति -इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित सभी विषयों या किसी के लिए परिनियम में प्रावधान किया जा सकेगा:-

(i) विश्वविद्यालय के प्राधिकार तथा अन्य निकायों, जो समय- समय पर गठित किया जाना आवश्यक पाया जाय, के गठन, शक्तियाँ एवं कृत्य।

(ii)विश्वविद्यालय के उक्त प्राधिकारों एवं निकायों के सदस्यों की नियुक्ति तथा उन्हें पद पर बनाये रखना, सदस्यों की रिक्तियों को भरना तथा उन प्राधिकारों एवं अन्य निकायों से संबंधित विषय जिनके लिए प्रावधान करना आवश्यक एवं वांछनीय हो ;

(iii) विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियाँ और कर्तव्य तथा उनकी सेवा के नियम एवं शर्तें ;

(iv) विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, अन्य शैक्षणिक स्टाफ अथवा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति तथा उनकी परिलब्धियां ;

(v) एक संयुक्त योजना हेतु विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की रीति, उनकी सेवा के नियम एवं शर्तें तथा उनकी परिलब्धियाँ ;

(vi) पेंशन या भविष्य निधि का गठन तथा विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों एवं संस्थाओं के कर्मचारियों के लाभ के लिए बीमा योजना की स्थापना ;

(vii) विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों तथा संस्थाओं के कर्मचारियों की वरीयता को निर्धारित करने वाले सिद्धांत ;

(viii) कर्मचारियों अथवा छात्रों तथा विश्वविद्यालय के बीच विवादों के मामलों में माध्यस्थम् की प्रक्रिया;

(ix) विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी या प्राधिकार के विरुद्ध कर्मचारी अथवा छात्र द्वारा कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अपील की प्रक्रिया ;

(x) शर्तें जिनके अधीन महाविद्यालय और संस्थाओं को विश्वविद्यालय का विशेषाधिकार मिल सकेगा तथा शर्तें जिनके अधीन विशेषाधिकार वापस लिया जा सकेगा ;

(xi) विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालयों और संस्थाओं के शासी निकाय का गठन तथा उन महाविद्यालयों और संस्थाओं का पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण ;

(xii) स्वायत्तता का विस्तार, जिसे कोई महाविद्यालय या संस्था एक स्वायत्त महाविद्यालय या संस्था के रूप में प्रयोग कर सकेंगें ;

(xiii) मानद् डिग्रियाँ देना ;

(xiv) डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट एवं अन्य शैक्षणिक उपाधियों की वापसी ;

(xv) फेलोशीप, छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति, पदक तथा पुरस्कार एवं अन्य प्रोत्साहन की संस्थिति ;

(xvi) विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों एवं संस्थाओं के छात्रों एवं कर्मचारियों के बीच अनुशासन बनाए रखना ;

(xvii) आचार्य पदों (चेयर्स), अध्ययन केन्द्रों, विभागों, महाविद्यालयों और संस्थाओं की स्थापना ;

(xviii) विश्वविद्यालय के प्राधिकारों या पदाधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन, और ;

(xix) सभी अन्य विषय, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन परिनियम द्वारा उपबंध किये गये हों अथवा किये जायें।

31. परिनियम बनाने की प्रक्रिया -

(i) प्रथम परिनियम शासी निकाय की अनुशंसा पर सरकार द्वारा बनाया जायेगा।

(ii) शासी निकाय, समय-समय पर, नया अथवा अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा अथवा इस धारा की उपधारा (1) में निर्देशित परिनियम को संशोधित अथवा निरसित कर सकेगा:

परन्तु शासी निकाय विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार की स्थिति, शक्ति अथवा गठन को प्रभावित करने वाला कोई परिनियम तबतक नहीं बनायेगा, न उसे संशोधित अथवा निरसित करेगा जब तक उस प्राधिकार को, प्रस्तावित परिवर्तन पर, लिखित रूप से, अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और उस अभिव्यक्त राय पर शासी निकाय द्वारा विचारण न कर लिया गया हो।

(iii) प्रत्येक नया परिनियम या परिनियम में परिवर्धन अथवा उसके संशोधन या निरसन में कुलाधिपति की सहमति अपेक्षित होगी जो उस पर सहमति दे सकेंगे या सहमति रोक सकेगें या उसे विचारण के लिए शासी निकाय को भेज सकेगें।

परन्तु यदि कुलाधिपति निर्देशन प्राप्त होने के नब्बे दिनों के भीतर अपना विनिश्चिय सूचित नहीं करते हैं तो समझा जायेगा कि कुलाधिपति ने परिनियम में अपनी सहमति दे दी है।

परन्तु यदि परिनियम के अन्तर्गत कोई वित्तीय पहलू उत्पन्न हो सकता हो तो यह तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त नहीं कर लिया जाय।

32. विनियम बनाने की शक्ति- विश्वविद्यालय के प्राधिकार, इस अधिनियम और परिनियम के अनुरूप परिनियम में विहित रीति से अपने स्वयं के कार्य के संचालन के लिए और समितियों के लिए, यदि कोई हो, जो उनके द्वारा नियुक्त हों और इस अधिनियम, परिनियम द्वारा उपबंधित न हों तथा ऐसे विषयों के लिए

जो परिनियम द्वारा विहित किये जायें विनियम बना सकेंगे। परन्तु, यदि कोई वित्तीय पहलू विनियम के तहत उत्पन्न हो सकता हो, तो यह तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं कर लिया जाय।

वैसे संस्थान जो वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा संचालित है तथा भविष्य में प्रस्तावित झारखंड स्वास्थ्य विश्वविद्यालय में समाहित हो जायेंगे, उनके प्रशासकीय तथा वित्तीय प्रबंधन का समोत्परिवर्तन किस प्रकार से होगा, इस पर प्रशासी विभाग प्रस्ताव तैयार कर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग एवं वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करेगा।

(I) विनियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध कर सकेगा, यथा:-

(a) विश्वविद्यालय तथा उससे विशेषाधिकार प्राप्त एवं संचालित संस्थानों में छात्रों के प्रवेश तथा नामांकन ;

(b) सभी डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट के लिए अधिकथित किये जाने वाले पाठ्यक्रम ;

(c) अनुदेशों एवं परीक्षाओं का माध्यम ;

(d) डिग्री, डिप्लोमा, सटिफिकेट एवं अन्य शैक्षणिक उपाधियाँ, उसके लिए अर्हताएँ और उसे देने और प्राप्त करने से संबंधित साधन ;

(e) विश्वविद्यालयों में अध्ययन के पाठ्यक्रम एवं परीक्षाओं में बैठने, डिग्रियों, डिप्लोमाओं के लिए प्रभारित होने वाला शुल्क ;

(f) फेलोशीप, छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति, पदक एवं पारितोषिक संस्थित किया जाना तथा उन्हें देने की शर्तें;

(g) परीक्षक निकायों, परीक्षकों तथा माडरेटरों के पद की अवधि एवं नियुक्ति की रीति तथा कर्तव्य सहित परीक्षाओं का संचालन ;

(h) छात्रों के आवास की शर्तें तथा उनका सामान्य अनुशासन ;

(i) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित महाविद्यालयों एवं संस्थाओं का प्रबंधन ;

(j) केन्द्रों, संस्थानों, अध्ययन-बोर्ड, विशिष्ट प्रयोगशालाओं एवं समितियों की स्थापना;

(k) किसी अन्य निकायों का, जो विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक जीवन के सुधार के लिए आवश्यक विचार किया जाय, सृजन, गठन एवं कृत्य ;

(l) विद्धत निकायों अथवा संघों सहित अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं एवं अन्य अभिकरणों के साथ समन्वय एवं सहयोग की रीति ;

(m) कर्मचारियों की शिकायतों के निपटारे के लिए तंत्र स्थापन ;

(n) कदाचार की कोटि या जिसके लिए इस अधिनियम, परिनियम या विनियम के अधीन कार्रवाई की जा सके ;

(o) सभी अन्य विषय, जो इस अधिनियम या परिनियम द्वारा या, के अधीन विनियम द्वारा उपबन्ध किये गये हों अथवा किये जायें।

(ii) प्रथम विनियम कुलपति द्वारा, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, बनाया जायेगा और उस प्रकार बनाया गया विनियम किसी भी समय, उस रीति से, जो परिनियम द्वारा विहित किया जाय, सरकार द्वारा संशोधित, निरसित या परिवर्धित किया जा सकेगा।

33. वार्षिक प्रतिवेदन-

(i) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन कार्यकारिणी परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किया जायेगा जिसमें अन्य विषयों के साथ विश्वविद्यालय द्वारा इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाये गये कदम सम्मिलित होंगे तथा परिनियम द्वारा यथाविहित उस तिथि को या उसके बाद शासी निकाय को समर्पित किया जायेगा और शासी निकाय प्रत्येक वर्ष अगस्त/सितम्बर माह में अनिवार्य रूप से होने वाली अपनी वार्षिक बैठक में विचार करेगा।

(ii) शासी निकाय अपनी टिप्पणी, यदि कोई हो, के साथ वार्षिक प्रतिवेदन कुलाधिपति को समर्पित करेगा।

(iii) इस अधिनियम की उपधारा (1) के अधीन यथा तैयार किये गए वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सरकार को भी समर्पित की जायेगी जो, यथाशक्य शीघ्र, विधानसभा के समक्ष रखी जायेगी।

34. निधि -

(i) विश्वविद्यालय की एक सामान्य निधि होगी जिसमें निम्नलिखित जमा किये जायेंगे:-

(a) शुल्क, अनुदान, दान एवं गिफ्ट, यदि कोई हो से, प्राप्त इसके आय ;

(b) राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय अभिकरण, केन्द्रीय सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अथवा ऐसे ही प्राधिकार, किसी स्थानीय प्राधिकार अथवा सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम द्वारा दिया गया कोई अंशदान या अनुदान ;

(c) विन्यास (एनडाउमेन्ट) एवं अन्य प्राप्तियाँ।

(ii) विश्वविद्यालय को ऐसी अन्य निधि होगी जो परिनियम द्वारा विहित की जाये।

(iii) विश्वविद्यालय की निधि और सभी धनों का प्रबंधन उस रीति से किया जायेगा जो परिनियम द्वारा विहित की जाय।

(iv) सरकार, प्रत्येक वर्ष, अध्ययन एवं शोध के उन्नयन एवं संवर्द्धन के लिए अनुदान सहायता उपलब्ध करा सकेगी।

35. लेखा एवं लेखा परीक्षा-

(i) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा एवं अधिशेष पत्र कार्यकारिणी परिषद् के निदेशन के अधीन तैयार किया जायेगा और प्रत्येक वर्ष कम-से-कम एक बार एवं अधिकतम पंद्रह माह के अन्तराल पर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे इस निमित्त अधिकृत किया जाय, लेखा परीक्षा कराया जायेगा।

(ii) वार्षिक लेखा की एक प्रति अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ, कार्यकारिणी परिषद् की अवधारणाओं के साथ, यदि कोई हो, सरकार के माध्यम से शासी निकाय और कुलाधिपति को समर्पित की जायेगी।

(iii) वार्षिक लेखा पर कुलाधिपति द्वारा की गयी कोई अवधारणा शासी निकाय की जानकारी में लायी जायेगी तथा सभा की अवधारणा, यदि कोई हो, कार्यकारिणी परिषद् द्वारा विचारण किये जाने के बाद, सरकार के माध्यम से कुलाधिपति को समर्पित की जायेगी।

(iv) वार्षिक लेखा की एक प्रति अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ, जो कुलाधिपति को समर्पित की गयी हो, सरकार को भी समर्पित की जायेगी।

36. रिटर्न आदि प्रेषित किया जाना -विश्वविद्यालय ऐसे रिटर्न या अपनी सम्पति या क्रियाकलापों के संबंध में अन्य जानकारी सरकार को प्रेषित करेगा जिनकी सरकार समय- समय पर अपेक्षा करे।।

37. कर्मचारियों की सेवाशर्तें -विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा की शर्तें परिनियमों तथा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट होगी।

38. विश्वविद्यालय समीक्षा आयोग का गठन-

(i) कुलाधिपति, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या सरकार के अनुरोध पर, हर पांच साल में कम से कम एक बार, विश्वविद्यालय के कामकाज की समीक्षा करने और अनुशंसा करने के लिए एक आयोग का गठन करेंगे।

(ii) आयोग का गठन कम से कम तीन प्रख्यात शिक्षाविदों से होगा, जिनमें से एक सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा नियुक्त ऐसे आयोग का अध्यक्ष होगा।

(iii) सदस्यों की नियुक्ति के नियम और शर्तें ऐसी होंगी जो कुलाधिपति निर्धारित करें।

(iv) आयोग ऐसी जांच करने के बाद जो वह ठीक समझे कुलाधिपति को अपनी अनुशंसा देगा तथा उसकी प्रति सरकार को देगा।

(v) कुलाधिपति अनुशंसाओं पर सरकार के परामर्श से ऐसी कार्रवाई कर सकेंगे जो वह ठीक समझें।

39. अपील का अधिकार-विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या इसके विशेषाधिकार प्राप्त संस्था के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी या प्राधिकार के विनिश्चय के विरूद्ध कुलाधिपति के समक्ष, उस समय के भीतर, जो परिनियम द्वारा विहित किया जाय, अपील करने का अधिकार होगा और उस पर कुलाधिपति जिस विनिश्चय के विरूद्ध अपील की गयी हो, उसे संपुष्ट, उपांतरित कर सकेंगे अथवा उलट सकेंगें।

40. पेंशन-झारखंड राज्य के अन्तर्गत स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित सभी सरकारी संस्थानों में दिनांक 01.12.2004 को अथवा इसके पश्चात् नियुक्त कर्मियों के लिए नयी पेंशन योजना तथा राज्य द्वारा इनके मामले में पेंशन के निमित्त समय- समय पर लिए गये निर्णय प्रभावी होंगे। दिनांक 01.12.2004 के पूर्व नियुक्त कर्मियों के मामले में पेंशन के पूर्व प्रावधान यथावत् प्रभावी रहेंगे। विश्वविद्यालय के गठन के उपरांत पेंशन के विषय में तत्समय राज्य सरकार का प्रावधान, जो विश्वविद्यालय पर लागू हो, प्रभावी होंगा।

विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी भविष्य निधि या पेंशन निधि का गठन अथवा ऐसी बीमा स्कीम का प्रावधान जो वह उपयुक्त समझें परिनियम द्वारा यथाविहित रीति से एवं यथाविहित शर्तों के अधीन रहते हुए करेगा।

41. विश्वविद्यालय प्राधिकारों एवं निकायों के गठन के संबंध में विवाद-यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या निकाय का सदस्य सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त है या नहीं अथवा सदस्य होने का हकदार है या नहीं तो वह विषय कुलाधिपति का निर्देशित कर दिया जायेगा जिनका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा।

42. आकस्मिक रिक्तियों को भरा जाना-विश्वविद्यालयों के किसी प्राधिकार या अन्य निकाय के पदेन सदस्यों के सिवाय, सदस्यों की सभी आकस्मिक रिक्तियां, यथाशक्य शीघ्र, उस व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जायेंगी जो उन सदस्यों को नियुक्त, निर्वाचित या सहयुक्त करता हो जिसका स्थान रिक्त हो गया हो और आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त, निर्वाचित या सहयुक्त कोई व्यक्ति इस अवधि के अवशिष्ट के लिए, जिस व्यक्ति के स्थान पर वह सदस्य होगा, उस प्राधिकार या निकाय का सदस्य होगा।

43. विश्वविद्यालय प्राधिकारों या निकायों की कार्यवाही का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य नहीं होना - विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या अन्य निकाय की कोई कार्रवाई या कार्यवाही उसके सदस्यों के बीच मात्र कोई रिक्ति या रिक्तियाँ होने के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

44. सदभावपूर्वक की गयी कार्रवाई का संरक्षण -विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी अथवा किसी प्राधिकार के विरूद्ध इस अधिनियम, परिनियम या विनियम के प्रावधानों के अनुसरण में सदभावपूर्वक किये गये या किये जाने को अभीष्ट कुछ भी के लिए कोई वाद या विधिक् कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी।

45. विश्वविद्यालय अभिलेख के सबूत के ढंग -भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 या तत्समय प्रवृत किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के प्राधिकार या अन्य निकाय की कोई रसीद, आवेदन, नोटिस, आदेश, कार्यवाही या संकल्प अथवा विश्वविद्यालय के कब्जे में किसी अन्य दस्तावेज अथवा विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से अनुरक्षित किसी रजिस्टर में कोई प्रविष्टि की प्रति रजिस्ट्रार द्वारा यदि अभिप्रमाणित हो तो वह रसीद, आवेदन, नोटिस, आदेश, कार्यवाही या संकल्प या दस्तावेज या रजिस्टर में विद्यमान प्रविष्टि की कोई प्रति प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में प्राप्त की जायेगी और उसके विषयों और उसमें संव्यवहार के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जायेगा, जहाँ उसका मूल, यदि प्रस्तुत किया जाता, तो साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होता।

46. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति -इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसा प्रावधान कर सकेगी जो इस अधिनियम के प्रावधानों के असंगत न हो तथा उस कठिनाई को दूर करने हेतु आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के आरम्भ से तीन वर्षों की समाप्ति के बाद नहीं किया जायेगा।

परन्तु और कि इस धारा के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, दिये जाने के बाद यथाशीघ्र, विधानमंडल के समक्ष रखा जायेगा।

47. संक्रमणकालीन उपबंध - इस अधिनियम या परिनियम के अधीन अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी -

(i) प्रथम कुलपति, प्रथम रजिस्ट्रार एवं प्रथम वित्त पदाधिकारी सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे और प्रत्येक उक्त पदाधिकारी तीन वर्षों के कार्यकाल तक अपना पद धारण करेंगे।

(ii) प्रथम कोर्ट निकाय एवं प्रथम कार्यकारिणी परिषद् अधिकतम ग्यारह सदस्यीय होगा जिनका नाम सरकार द्वारा नामित होगा और तीन वर्षो के कार्यकाल के लिए अपना पद धारित करेंगे।

परन्तु उपर्युक्त पदों एवं प्राधिकारों में यदि कोई रिक्ति होती है तो वह सरकार द्वारा, यथास्थिति, नियुक्ति अथवा नामनिर्देशन द्वारा भरी जायेगी और उस प्रकार नियुक्त या नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति उस पदाधिकारी या सदस्य के रूप में तबतक पदधारण करेगा, जबतक वह पदाधिकारी या सदस्य जिसके स्थान पर वह नियुक्त या नाम-निर्दिष्ट हुआ है, पद धारण करता यदि वह रिक्ति नही होती।

(iii) इस अधिनियम या विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, किसी अन्य विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी महाविद्यालय या संस्थान का कोई छात्र, जो विश्वविद्यालय से संबद्धता की तारीख से ठीक पहले अध्ययन कर रहा था या अन्य विश्वविद्यालयों की किसी भी परीक्षा के लिए पात्र था, को पाठ्यक्रम की तैयारी में इसे पूरा करने की अनुमति दी जाएगी और विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार ऐसे छात्रों के निर्देश, शिक्षण, प्रशिक्षण और परीक्षा के लिए ऐसी अवधि और रीति का उपबंध करेगी जो विहित की जाय।

48. परिनियम तथा विनियमावली का राजपत्र में प्रकाशन तथा विधानमंडल के समक्ष रखा जाना-

(i) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम तथा विनियमावली राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे।

(ii) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम तथा विनियमावली बनाये जाने के बाद, यथाशाक्य शीघ्र, विधान मंडल के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिनों की अवधि के लिए, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक अनुवर्ती सत्रों को मिलाकर हो, रखे जायेगें।

(iii) यदि जिस सत्र में यह विधान मंडल के समक्ष रखा जाता है, उसकी समाप्ति के पूर्व या ठीक पश्चातवर्ती सत्रों में विधान मंडल परिनियम या विनियमावली में कोई संशोधन करने के लिये सहमत होता है या सहमत होता है कि परिनियम पर नियमावली नहीं बनायी जानी चाहिये तो यथा स्थिति परिनियम या विनियमावली केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगी या प्रभावी नहीं होगी, तद्यपि ऐसा कोई भी रूपान्तरण या संशोधन उस परिनियम या विनियमावली की संबंधित स्थिति के तहत् पूर्व में किये गये किसी भी चीज पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

यह विधेयक झारखण्ड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 दिनांक 04 अगस्त, 2023 को झारखण्ड विधान सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 04 अगस्त, 2023 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(रबीन्द्र नाथ महतो)

अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 37--50--11-08-2023 ।